


२६/११/२५

५

बार-बार आवाप लगवणे के बाद भी न तो
अपील न ही अपीलाने अधिवक्ता उपस्थित
हुये। पत्रावली अलग लफ्फे के अलग फेंकी में
खारिज की जाती हैं। पत्रावली फेंकल
शुमा की जाकर नंबर से कम की जावे।
बाद जाबला दाखिल पफ्ता हो।


भू प्रवक्ता अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)